(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री शान्तिलाल उम्र 36 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 9 नीमडीपाडा तहसील अन्ता जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स जगदम्बा स्वीट्स एण्ड डेयरी मेंन बस स्टेण्ड अन्ता जिला बारॉ
2. मैसर्स जगदम्बा स्वीट्स एण्ड डेयरी मेंन बस स्टेण्ड अन्ता जिला बारॉ (राज.)
3. श्री सांवरमल पुत्र श्री गोविन्दराम निवासी ग्राम गुढा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज.(मालिक) मै. रामदेव एण्ड क0(सरस डिस्ट्रीब्यूटर्स) कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमि. रावतभाटा रोड अकेलगढ कोटा
4. मैसर्स रामदेव एण्ड कम्पनी (सरस डिस्ट्रीब्यूटर्स) कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमि. रावतभाटा रोड अकेलगढ, कोटा (राज.)
5. श्री यशोदा नन्द राय पुत्र श्री केदार नाथ राय निवासी मकान नं0 1–जे–3 महावीर नगर तृतीय कोटा (सहायक डेयरी केमिस्ट एवं नोमीनी) मैसर्स मै. कोटा बूंदी जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अकेलगढ रावतभाटा रोड कोटा।
6. मैसर्स कोटा बूंदी जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अकेलगढ रावतभाटा रोड कोटा जरिये नोमीनी।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री नवीन शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी कम्र. 1,2,3,4)
3– श्री विजेन्द्र गोड अभिभाषक (अप्रार्थी कम 5,6)

निर्णय दिनांक 21.11.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को मैसर्स जगदम्बा स्वीट्स एण्ड डेयरी मेंन बस स्टेण्ड अन्ता जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री देवेन्द्र पुत्र शान्तिलाल (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28) नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के [illegible] क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ [illegible] पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल किम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** के 100 पैकिट [illegible] मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल किम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप की शंका होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 ... की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल किम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री शान्तिलाल माली (विक्रेता एवं मालिक) को 128 / – रूपये (अक्षरे एक सौ अट्ठाईस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** को अलग–अलग चारो को हिलामिलाकर एकरूप कर चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की चार शिशियो मे अलग अलग भर कर प्रत्येक शीशी मे फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया प्रत्येक भाग पर नमूने का विवरण सहित लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1592 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1592 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री शान्तिलाल माली (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/395 दिनांक 23.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1476/PHL/kota/Act/2022/1479 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रीम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 03.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया एवं स्वयं की लेबोरेट्री की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के अभिभाषक द्वारा [illegible] बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सरस 500 एमएल के मूल पोली पैक फ्रिज में से निकालने के बाद किस टैम्परेचर पर सेम्पल लिया गया, इसका उल्लेख कहीं भी नही किया गया है। फ्रिज में से दूध निकालने के बाद यह संभावना बनी रहती है कि फैट थैलियों के अंदर चिपका रह जाये, क्योंकि दूध ठण्डा रहता है, यदि ज्यादा समय तक दूध को फ्रीजिंग किया गया हो तो फैट का थैलियों पर चिपके रहने की संभावना बनी रहती है। खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1476/PHL/kota/Act/2022/1479 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार मिल्क फैट कम से कम 6.0 प्रतिशत होना चाहिये जबकि उक्त रिपोर्ट में मिल्क फैट 5.7 प्रतिशत आया है। प्रतिशत की मात्रा में मामूली सा अंतर आना केवल दूध की सैम्पलिंग की प्रक्रिया

सही ढंग से नहीं किये जाने पर आने की संभावना रहती है। हमारी लेबोरेट्री में एक बैच के दूध की कई स्तर पर जांच होने तथा सही पाये जाने के बाद ही मार्केट में सप्लाई हेतु भेजा जाता है, उक्त सैंपल की हमारी लेबोरेट्री में कई स्तर पर जांच हुई है जो कि सही पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही में उन्हें दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1476/PHL/kota/Act/2022/1479 दि. 11.11.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (सरस गोल्ड) 500 एमएल मूल पौली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1476/PHL/kota/Act/2022/1479 दिनांक 11.11.2022के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 का मुख्य कथन है कि उक्त लेबोरेट्री की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फैट कम से कम 6.0 प्रतिशत होना चाहिये जबकि उक्त रिपोर्ट में मिल्क फैट 5.7 प्रतिशत आया है। प्रतिशत की मात्रा में मामूली सा अंतर आना केवल दूध की सैम्पलिंग की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं किये जाने पर आने की संभावना रहती है। अप्रार्थीगण के कथनों से यह न्यायालय सहमत है।

परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **21.11.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested